ECI – RAS MAINS (50 WORDS) QUESTION–ANSWER SET (1–15)

प्रश्न 1. भारतीय निर्वाचन आयोग की संवैधानिक स्थिति का वर्णन कीजिए। उत्तर **(50** शब्द**)**

भारतीय निर्वाचन आयोग संविधान के भाग XV के अंतर्गत अनुच्छेद 324 द्वारा स्थापित एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। इसका प्रमुख कार्य लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण करना है। आयोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। सुरक्षित कार्यकाल, वेतन सुरक्षा तथा कठिन हटाने की प्रक्रिया इसकी स्वतंत्रता को सुदृढ़ बनाती है।

प्रश्न 2. **Anoop Baranwal** मामले का निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता पर क्या प्रभाव पड़ा**?** उत्तर **(50** शब्द**)**

Anoop Baranwal बनाम भारत संघ (2023) में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता और स्वतंत्रता पर बल दिया। न्यायालय ने संसद द्वारा कानून बनाए जाने तक प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की समिति द्वारा नियुक्ति का निर्देश दिया। इस निर्णय ने कार्यपालिका के एकाधिकार को सीमित कर आयोग की संस्थागत स्वतंत्रता को मजबूत करने का प्रयास किया।

प्रश्न 3. **Model Code of Conduct (MCC)** का महत्व स्पष्ट कीजिए। उत्तर **(50** शब्द**)**

आदर्श आचार संहिता चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के आचरण को नियंत्रित करती है। इसका उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और प्रतिस्पर्धात्मक बनाए रखना है। MCC के माध्यम से सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग, जातीय एवं धार्मिक अपील तथा चुनावी प्रलोभनों पर नियंत्रण रखा जाता है। यद्यपि यह कानून नहीं है, फिर भी लोकतांत्रिक शुचिता बनाए रखने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है।

प्रश्न 4. **NOTA** की अवधारणा एवं महत्व बताइए। उत्तर **(50** शब्द**)**

NOTA (None of the Above) मतदाताओं को सभी उम्मीदवारों के प्रति असहमति व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है। इसे PUCL बनाम भारत संघ (2013) मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मान्यता दी गई। इसका आधार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। NOTA लोकतांत्रिक विकल्पों का विस्तार करता है तथा राजनीतिक दलों को बेहतर उम्मीदवार चयन हेतु प्रेरित करता है। हालांकि यह अभी “Right to Reject” के समान नहीं है।

प्रश्न 5. चुनावी सुधारों में **VVPAT** की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। उत्तर **(50** शब्द**)**

VVPAT (Voter Verifiable Paper Audit Trail) मतदाता को यह सत्यापित करने की सुविधा देता है कि उसका वोट सही उम्मीदवार को दर्ज हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे चुनावी पारदर्शिता और विश्वसनीयता के लिए महत्वपूर्ण माना। VVPAT के माध्यम से EVM प्रणाली में जनता का विश्वास बढ़ा है तथा विवाद की स्थिति में ऑडिट ट्रेल उपलब्ध होता है। यह चुनावी सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है

प्रश्न 6. Electoral Bonds योजना की प्रमुख विशेषताएँ एवं विवाद स्पष्ट कीजिए। उत्तर **(50** शब्द**)**

Electoral Bonds योजना 2018 में राजनीतिक चंदे को बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गई थी। इसके अंतर्गत SBI द्वारा बांड जारी किए जाते थे। आलोचकों ने इसे अपारदर्शी बताया क्योंकि जनता दानदाताओं की पहचान नहीं जान सकती थी। 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे मतदाताओं के सूचना के अधिकार के विरुद्ध मानते हुए असंवैधानिक घोषित कर दिया।

प्रश्न 7. One Nation One Election की अवधारणा का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। उत्तर **(50** शब्द**)**

One Nation One Election का तात्पर्य लोकसभा एवं सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराना है। इसके पक्ष में चुनावी खर्च में कमी, प्रशासनिक दक्षता तथा बार-बार लागू होने वाली MCC से राहत जैसे तर्क दिए जाते हैं। दूसरी ओर संघवाद, मध्यावधि विघटन तथा संवैधानिक संशोधनों की आवश्यकता जैसी चुनौतियाँ भी हैं। इसलिए यह विषय व्यापक राजनीतिक सहमति की मांग करता है।

प्रश्न 8. परिसीमन आयोग **(Delimitation Commission)** का महत्व स्पष्ट कीजिए।उत्तर **(50** शब्द**)**

परिसीमन आयोग निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करता है ताकि जनसंख्या के अनुपात में समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। इसका संवैधानिक आधार अनुच्छेद 82 एवं 170 है। आयोग के निर्णय सामान्यतः न्यायिक समीक्षा से बाहर होते हैं। भारत में लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की गुणवत्ता बनाए रखने तथा “एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य” सिद्धांत को लागू करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है।

प्रश्न 9. राजनीति के अपराधीकरण से लोकतंत्र को क्या चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं**?**उत्तर **(50** शब्द**)**

राजनीति का अपराधीकरण लोकतंत्र की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों के चुनाव जीतने से विधायिकाओं की साख कम होती है तथा कानून निर्माण की

प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। यह धनबल और बाहुबल को बढ़ावा देता है। न्यायपालिका तथा निर्वाचन आयोग समय-समय पर पारदर्शिता बढ़ाने हेतु उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि के प्रकटीकरण पर बल देते रहे हैं।

प्रश्न 10. निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता बढ़ाने हेतु दो प्रमुख सुधार सुझाइए। उत्तर **(50** शब्द**)**

निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता सुदृढ़ करने के लिए प्रथम, नियुक्ति प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और बहु-सदस्यीय चयन समिति आधारित बनाया जा सकता है। द्वितीय, आयोग को स्वतंत्र सचिवालय एवं अधिक वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की जा सकती है। इसके अतिरिक्त चुनावी अपराधों के त्वरित निपटान, राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र तथा डिजिटल चुनावी निगरानी को भी मजबूत करना आवश्यक है।

प्रश्न 11. निर्वाचन आयोग की अर्ध-न्यायिक शक्तियों का वर्णन कीजिए। उत्तर **(50** शब्द**)**

निर्वाचन आयोग को चुनावी विवादों के कुछ मामलों में अर्ध-न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। राजनीतिक दलों के विभाजन, चुनाव चिह्न विवाद तथा मान्यता संबंधी मामलों में आयोग निर्णय देता है। शिवसेना एवं NCP जैसे मामलों में आयोग ने चुनाव चिह्न और वास्तविक संगठन के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये शक्तियाँ चुनावी स्थिरता, निष्पक्षता तथा राजनीतिक प्रक्रिया में स्पष्टता बनाए रखने में सहायक हैं।

प्रश्न 12. SVEEP कार्यक्रम का महत्व स्पष्ट कीजिए। उत्तर **(50** शब्द**)**

SVEEP (Systematic Voters' Education and Electoral Participation) निर्वाचन आयोग का प्रमुख मतदाता जागरूकता कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य मतदाता पंजीकरण बढ़ाना, मतदान प्रतिशत में वृद्धि करना तथा लोकतांत्रिक भागीदारी को मजबूत बनाना है। यह कार्यक्रम विशेष रूप से युवाओं, महिलाओं, दिव्यांगजनों तथा वंचित वर्गों को चुनाव प्रक्रिया से जोड़ने का प्रयास करता है। इससे लोकतंत्र की समावेशिता एवं वैधता में वृद्धि होती है।

प्रश्न 13. निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर **(50** शब्द**)**

भारतीय निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 के अंतर्गत स्थापित संवैधानिक संस्था है, जो संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव कराता है। इसके विपरीत राज्य निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 243K एवं 243ZA के अंतर्गत स्थापित है तथा पंचायत एवं नगरपालिका चुनावों का संचालन करता है। दोनों संस्थाएँ स्वतंत्र हैं, किन्तु उनके अधिकार क्षेत्र एवं संवैधानिक प्रावधान भिन्न हैं।

प्रश्न 14. चुनाव चिह्नों का भारतीय चुनाव प्रणाली में महत्व स्पष्ट कीजिए। उत्तर **(50** शब्द**)**

भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण लोकतंत्र में चुनाव चिह्न मतदाता पहचान का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। विशेष रूप से कम शिक्षित या निरक्षर मतदाताओं के लिए चुनाव चिह्न उम्मीदवार और राजनीतिक दल की पहचान सुनिश्चित करते हैं। निर्वाचन आयोग Election Symbols Order, 1968 के अंतर्गत चिह्नों का आवंटन एवं विवादों का समाधान करता है। इससे चुनाव प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और प्रभावी बनती है।

प्रश्न 15. **cVIGIL App** की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। उत्तर **(50** शब्द**)**

cVIGIL निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित मोबाइल एप्लीकेशन है, जिसका उद्देश्य आदर्श आचार संहिता के उल्लंघनों की त्वरित रिपोर्टिंग करना है। नागरिक फोटो या वीडियो अपलोड कर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यह एप जियो-टैगिंग और रियल-टाइम निगरानी की सुविधा प्रदान करता है। इससे चुनावी पारदर्शिता बढ़ती है तथा निर्वाचन आयोग को त्वरित कार्रवाई करने में सहायता मिलती है।

ECI – RAS MAINS (150 WORDS) ADVANCED SET

Model Code of Conduct (MCC) की भूमिका एवं सीमाओं का विश्लेषण कीजिए। उत्तर **(150** शब्द**)**

आदर्श आचार संहिता (MCC) भारतीय चुनाव प्रणाली में निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण साधन है। चुनाव कार्यक्रम घोषित होते ही यह प्रभावी हो जाती है तथा राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों एवं सरकारों के लिए आचरण संबंधी दिशा-निर्देश निर्धारित करती है।

MCC का प्रमुख उद्देश्य सत्ता के दुरुपयोग को रोकना तथा सभी राजनीतिक दलों को समान अवसर प्रदान करना है। इसके अंतर्गत सरकारी संसाधनों के चुनावी उपयोग, नई योजनाओं की घोषणा, जातीय एवं धार्मिक अपील तथा मतदाताओं को प्रलोभन देने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। इससे चुनावी प्रतिस्पर्धा अधिक निष्पक्ष बनती है।

हालाँकि MCC की कुछ सीमाएँ भी हैं। यह कोई विधिक कानून नहीं है, इसलिए इसके उल्लंघन पर प्रत्यक्ष दंडात्मक कार्रवाई सीमित है। सोशल मीडिया, डिजिटल प्रचार एवं डीपफेक तकनीकों के बढ़ते उपयोग ने इसके प्रभावी क्रियान्वयन को और जटिल बना दिया है।

निष्कर्षतः MCC भारतीय चुनावी शुचिता का महत्वपूर्ण उपकरण है, परंतु बदलती चुनावी चुनौतियों के अनुरूप इसके क्रियान्वयन को और अधिक प्रभावी बनाना आवश्यक है।

Q.राजनीतिक दलों की मान्यता प्रणाली का मूल्यांकन कीजिए। उत्तर **(150** शब्द**)**

भारतीय निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय एवं राज्य दल का दर्जा प्रदान करता है। यह व्यवस्था Election Symbols Order, 1968 के अंतर्गत संचालित होती है। मान्यता प्राप्त दलों को आरक्षित चुनाव चिह्न, प्रसारण समय तथा अन्य चुनावी सुविधाएँ प्राप्त होती हैं।

इस प्रणाली का प्रमुख उद्देश्य राजनीतिक स्थिरता, सुव्यवस्थित चुनावी प्रतिस्पर्धा तथा मतदाताओं को स्पष्ट विकल्प प्रदान करना है। राष्ट्रीय दलों की उपस्थिति राष्ट्रीय मुद्दों को बल देती है, जबकि राज्य दल क्षेत्रीय हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

हालाँकि समय-समय पर मान्यता संबंधी मानदंडों की समीक्षा की आवश्यकता महसूस की जाती है। कई बार क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु मान्यता मानदंडों के कारण उन्हें सीमित लाभ मिल पाता है। दूसरी ओर अत्यधिक संख्या में पंजीकृत लेकिन निष्क्रिय दल भी चुनावी व्यवस्था को जटिल बनाते हैं।

अतः मान्यता प्रणाली लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा को संगठित करने का प्रभावी साधन है, किन्तु इसे समयानुकूल सुधारों एवं पारदर्शिता के साथ और अधिक सुदृढ़ किया जा सकता है।

Q चुनावी वित्तपोषण में पारदर्शिता की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए। उत्तर **(150** शब्द**)**

लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनावी वित्तपोषण की पारदर्शिता अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की वित्तीय निर्भरता सीधे नीति निर्माण एवं शासन को प्रभावित कर सकती है। यदि राजनीतिक चंदे के स्रोत अस्पष्ट हों तो भ्रष्टाचार, पक्षपात और हितों के टकराव की संभावना बढ़ जाती है।

भारत में चुनावी खर्च लगातार बढ़ रहा है। इसी संदर्भ में Electoral Bonds जैसी योजनाएँ लाई गईं, जिनका उद्देश्य औपचारिक बैंकिंग माध्यमों से चंदा उपलब्ध कराना था। हालांकि पारदर्शिता की कमी के कारण इस व्यवस्था की आलोचना हुई और सर्वोच्च न्यायालय ने 2024 में इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया।

चुनावी वित्तपोषण में पारदर्शिता मतदाताओं के सूचना के अधिकार को मजबूत करती है। इससे नागरिक यह जान सकते हैं कि राजनीतिक दलों को वित्तीय सहायता कौन प्रदान कर रहा है। यह जवाबदेही और जनविश्वास दोनों को बढ़ाता है।

अतः लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए राजनीतिक वित्तपोषण की ऐसी व्यवस्था आवश्यक है जो पारदर्शिता, जवाबदेही और वैध गोपनीयता के बीच संतुलन स्थापित कर सके।

Q. निर्वाचन आयोग के समक्ष उभरती डिजिटल चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। उत्तर **(150** शब्द**)**

डिजिटल तकनीक के विस्तार ने चुनावी प्रक्रिया को नई संभावनाएँ प्रदान की हैं, लेकिन इसके साथ कई चुनौतियाँ भी उत्पन्न हुई हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डीपफेक तकनीक तथा लक्षित राजनीतिक विज्ञापन चुनावी पारदर्शिता के लिए नई चिंताएँ पैदा कर रहे हैं।

डीपफेक वीडियो और भ्रामक सामग्री मतदाताओं को भ्रमित कर सकती है तथा चुनावी विमर्श को प्रभावित कर सकती है। सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचना का तीव्र प्रसार लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त चुनावी व्यय की निगरानी तथा डिजिटल विज्ञापनों की पारदर्शिता भी चुनौतीपूर्ण है।

निर्वाचन आयोग ने cVIGIL, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग तथा विभिन्न प्लेटफॉर्मों के साथ समन्वय जैसे कदम उठाए हैं। फिर भी तकनीकी प्रगति की गति के कारण निरंतर सुधार की आवश्यकता बनी हुई है।

निष्कर्षतः डिजिटल युग में निर्वाचन आयोग की भूमिका केवल चुनाव कराने तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि सूचना की विश्वसनीयता एवं लोकतांत्रिक संवाद की रक्षा भी उसकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बन गई है।

Q. भारतीय लोकतंत्र में निर्वाचन आयोग की भूमिका का समग्र मूल्यांकन कीजिए। उत्तर **(150** शब्द**)**

भारतीय निर्वाचन आयोग लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का एक केंद्रीय स्तंभ है। संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत स्थापित यह संस्था स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करती है। आयोग लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनावों का संचालन करता है।

निर्वाचन आयोग की भूमिका केवल मतदान सम्पन्न कराने तक सीमित नहीं है। यह मतदाता सूची तैयार करता है, राजनीतिक दलों का पंजीकरण करता है, चुनाव चिह्न आवंटित करता है तथा आदर्श आचार संहिता लागू करता है। EVM, VVPAT, SVEEP और cVIGIL जैसी पहलों ने चुनावी प्रक्रिया को अधिक आधुनिक एवं सहभागी बनाया है।

हालाँकि आयोग के समक्ष चुनावी वित्तपोषण, राजनीति का अपराधीकरण, डिजिटल दुष्प्रचार तथा संस्थागत स्वतंत्रता जैसी चुनौतियाँ मौजूद हैं। इन चुनौतियों का प्रभावी समाधान लोकतांत्रिक गुणवत्ता को और सुदृढ़ करेगा।

निष्कर्षतः निर्वाचन आयोग भारतीय लोकतंत्र की विश्वसनीयता, वैधता और स्थिरता का संरक्षक है। इसकी स्वतंत्रता एवं क्षमता को मजबूत करना लोकतांत्रिक भविष्य के लिए अनिवार्य है।